

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 2884 /न्या.लि./कोरोना/2020  
प्रति,

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2020

- 1/ पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 2/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ (छ.ग.)
- 3/ सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 4/ आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)
- 5/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 6/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 7/ सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला रायगढ़

विषय :- अन्य राज्य से आने वाले इंटर स्टेट माइग्रेन्ट्स के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लॉक-ए, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 01-24/2020/विज्ञप्त/640, दिनांक 21.03.2020

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्तमान में नोवेल कोरोना कोविड-19 के Outbreak को देखते हुए उसके संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु अन्य राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट माइग्रेन्ट्स के संबंध में निम्नानुसार निर्देश छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिसूचना का उल्लेख के तहत प्रसारित किये गये हैं :-

- 1- जो भी व्यक्ति, अन्य राज्यों विशेषकर जहां कोरोना के सकारात्मक मामले ज्यादा आ रहे हैं। वहां से राज्य में ट्रेन या संचार के साधनों से आने वाले व्यक्ति अपनी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नंबर-104 पर देंगे।
- 2- अपनी जानकारी देने के पश्चात वे तत्काल निर्धारित 14 दिनों हेतु Home Quarantine हेतु चले जायेंगे।
- 3- Home Quarantine के दौरान ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का अनिवार्यतः पालन करेंगे।
- 4- यदि ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित नहीं करता है तो उसे Government Quarantine Center में भेज दिया जायेगा। साथ ही उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।  
अतएव उक्त निर्देशों का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

//2//

पृ.क्रमांक / 2824 A / न्या.लि. / कोरोना / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2020

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लॉक-ए, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)  
—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

दिनांक 23/3/2020

रायगढ़, छ.ग.

कलेक्टर, जिला रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
(छ.ग.) जिला रायगढ़ (छ.ग.)